# केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख जन–कल्याणकारी योजनाएं

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

| क्र. स. | योजना का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| **विशेष योजनाएं** | | 1 |
| 1 | स्टैंड अप इंडिया योजना | 2 |
| 2 | पी.एम किसान सम्मान निधि योजना | 3 |
| 3 | आयुष्मान भारत योजना | 5 |
| 4 | प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना | 7 |
| 5 | प्रधानमंत्री जन धन योजना | 8 |
| 6 | प्रधानमंत्री आवास योजना | 9 |
| **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाएं** | | 10 |
| **सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं** | | |
| 7 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 11 |
| 8 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 11 |
| 9 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना | 12 |
| 10 | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | 13 |
| 11 | मुख्मंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | 13 |
| 12 | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | 14 |
| 13 | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना | 15 |
| 14 | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना | 16 |
| **शैक्षणिक उत्थान से संबंधित योजनाएं** | | |
| 15 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 18 |
| 16 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति | 19 |
| 17 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अन्य पिछड़ा वर्ग | 19 |
| 18 | डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 21 |
| 19 | मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना | 22 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना | 23 |
| 21 | छात्रावास योजना | 24 |
| 22 | आवासीय विद्यालय योजना | 24 |
| 23 | मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना | 25 |
| 24 | अनुप्रति योजना | 26 |
| **महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाएं** | | |
| 25 | विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना | 28 |
| 26 | सहयोग एवं उपहार योजना | 29 |
| 27 | संभाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य महिला सदन | 30 |
| 28 | उज्जवला योजना | 30 |
| 29 | स्वाधार गृह योजना | 31 |
| 30 | विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना | 33 |
| 31 | आस्था योजना | 34 |
| 32 | विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना | 34 |
| 33 | पोलियो करैक्शन कैम्प योजना | 35 |
| 34 | विशेष योग्यजन खेल–कूद योजना | 35 |
| 35 | विशेष योग्यजन के लिए स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना | 36 |
| 36 | विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना | 36 |
| **सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण से संबंधित योजनाएं** | | |
| 37 | डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना | 37 |
| 38 | अम्बेडकर पुरस्कार योजना | 37 |
| 39 | अंत्येष्टि अनुदान योजना | 38 |
| **देवनारायण योजना** | | 38 |
| 40 | देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 39 |
| 41 | देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना | 39 |
| 42 | संयुक्त सहायता अनुदान योजना | 40 |
| 43 | विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| 44 | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना | 40 |
| 45 | विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना | 41 |
| | **सिंचाई विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 42 |
| 46 | असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना | 43 |
| 47 | डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना | 43 |
| 48 | फव्वारा सिंचाई योजना | 44 |
| 49 | पाईप लाईन योजना सिंचाई योजना | 44 |
| 50 | नलकूप / बोरवैल एवं पम्पसैट योजना | 45 |
| 51 | बूंद–बूंद सिंचाई योजना | 45 |
| | **महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 46 |
| 52 | गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016 | 47 |
| 53 | धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण योजना | 48 |
| 54 | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना | 48 |
| 55 | स्वावलम्बन योजना | 48 |
| 56 | नन्द घर योजना | 49 |
| 57 | मुख्यमंत्री राजश्री योजना | 50 |
| | **श्रम विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 51 |
| 58 | निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना | 52 |
| 59 | शुभ शक्ति योजना | 53 |
| 60 | कोविड–19 योजना | 53 |
| 61 | निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना | 54 |
| 62 | निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना | 57 |
| 63 | सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना | 61 |
| | **स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 63 |
| 64 | जननी सुरक्षा योजना | 64 |
| 65 | मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना | 65 |
| 66 | मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना | 66 |

| | | |
|---|---|---|
| | **आयोजना विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 67 |
| 67 | जन आधार योजना | 68 |
| | **नाबार्ड की प्रमुख योजनाएं** | 69 |
| 68 | डेयरी उद्यमिता विकास योजना | 70 |
| | **पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 72 |
| 69 | उष्ट्र विकास योजना | 73 |
| 70 | सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर एच.जी.एम. | 75 |
| 71 | जैनेटिक इन्प्रूवमेंट ऑफ सिरोही गोट | 77 |
| | **बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की प्रमुख योजनाएं** | 78 |
| 72 | गार्गी पुरस्कार योजना | 79 |
| | **मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 80 |
| 73 | मत्स्य बीज पालन क्षेत्र का विकास | 81 |
| 74 | मछलियों का प्रजनन एवं पालन योजना | 81 |
| | **कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 82 |
| 75 | मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान | 83 |
| 76 | सौर पम्प कृषि – कनेक्शन योजना | 84 |
| 77 | महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण योजना, 2015 | 85 |
| 78 | मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना (एम.बी.एस.वाई.) | 86 |
| | **उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 87 |
| 79 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना | 88 |
| | **रोजगार योजना** | 90 |
| 80 | मुख्यमंत्री युवा संबंध बेरोजगारी भत्ता योजना | 91 |
| | **राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की प्रमुख योजनाएं** | 93 |
| 81 | राजस्थान कौशल विकास योजना | 94 |
| 82 | नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना | 96 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना | 97 |
| 84 | रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) | 97 |
| | **उद्योग विभाग की प्रमुख योजनाएं** | 98 |
| 85 | महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना | 99 |
| 86 | आर्टीजन( हस्तशिल्प) परिचय पत्र योजना | 101 |
| 87 | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | 101 |
| | **को–ओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी की प्रमुख योजनाएं** | 104 |
| 88 | राजस्थान ज्ञान सागर योजना | 105 |
| 89 | सहकारी किसान कार्ड योजना | 106 |
| 90 | सहकार सुगम क्रडिट कार्ड योजना | 106 |
| 91 | सहकार स्वरोजगार योजना | 107 |
| 92 | जनमंगल आवास ऋण योजना | 107 |
| 93 | कृषक मित्र योजना | 108 |
| 94 | सहकार प्रभा योजना | 109 |
| 95 | नकद ऋण वितरण योजना | 110 |
| 96 | विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना | 110 |
| 97 | महिला विकास ऋण योजना | 111 |
| 98 | ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना | 111 |
| 99 | ग्रामीण आवास योजना | 112 |
| 100 | बेबी ब्लेकेंट योजना | 112 |
| | **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाएं** | 113 |
| 101 | राजस्थान राशन कार्ड सूची | 114 |
| | **मनरेगा** | 116 |
| 102 | मनरेगा योजना | 117 |

# विशेष योजनाएं

## स्टैंड–अप इंडिया योजना

**पात्रता की शर्ते**– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं तथा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत सहायता केवल नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में, नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना का अर्थ है। गैर–व्यक्ति उद्यम के मामले मे 51 प्रतिशत शेयरधारिता या नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी की होनी चाहिए।

उधार कर्ता किसी बैंक/वितीय संस्था के प्रति चूककर्ता न हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाएं जाति प्रमाण पत्र द्वारा स्टैंड–अप इंडिया योजना के वेबसाईट पर आवेदन कर सकती हैं।

**देय लाभ**– 10 लाख से 1 करोड़ के मध्य सम्मिश्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित)

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://www.standupmitra.in/

# प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

**उद्देश्य**– प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि एक नई केंद्रीय योजना (PM&KISAN) है जो देश के सभी भू–धारकों वाले किसानों के परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ–साथ घरेलू जरूरतों की विभिन्न खरीद, अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

**पात्रता**– सभी भू–धारक (जोत वाले) किसान परिवार योजना (वर्तमान में निर्धारित छूट मापदंडों के अधीन) इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रधारी हैं।

उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।

- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी से संबंधित हैं
- सभी संस्थागत भूमि धारण करने वाले तथा
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/कार्यालय/विभाग और उनकी क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालय/सरकार के साथ–साथ स्थानीय निकायों के नियमित सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ ग्रुप–डी कर्मचारी को छोड़कर)।
- उपरोक्त श्रेणी के अलावा सभी सेवा–निवृत्त (अतिरिक्त कार्यकाल)/सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000/– से अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह–डी कर्मचारियों को छोड़कर
- अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भरने वाले सभी

- पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और कार्यरत आर्किटेक्ट।

**लाभ**– पी.एम–किसान योजना के अंतर्गत, सभी पात्रधारी भू–धारक किसानों के प्रति परिवार को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किश्तों में कुल 6000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। ।

**आवेदन कैसे करें**–

- पात्रता वाले किसान गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं।
- किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (ﬔ) पर भी जाकर भुगतान करके पंजीकरण करा सकते हैं।
- किसान स्वयं भी पी.एम किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की स्थिति की जांच करने के लिए, यहां क्लिक करें।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरणों में नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एस.सी. /एस.टी.), आधार संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है तो आधार नामांकन संख्या किसी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि), बैंक खाता संख्या और लाभार्थियों का मोबाइल नंबर।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**ः– https://pmkisan.gov.in/#About

# आयुष्मान भारत योजना

**उद्देश्यः**— भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रूपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों या 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाना है, जिससे की गंभीर बीमारी का ईलाज बिना किसी कठिनाई के करा सकें।

**पात्रता की शर्तें**—

**ग्रामीण इलाके के लिए योग्यताः**—

- ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क (16—59 साल) का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति / जनजाति से हों और भूमिहीन व्यक्ति / दिहाड़ी मजदूर हो
- इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जायेंगे।

**शहरी इलाके के लिए योग्यताः**—

- भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी—पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति,
- कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढ़ोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति
- स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे।

केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और इलाके की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ

आयुष्मान भारत योजना के लिहाज से योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी, उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, लिस्ट में शामिल लोग ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं।

**आयुष्मान भारत योजना में भर्ती की प्रकिया**– आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा, अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा, आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जोयेंगे, पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा, वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगाा, अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चैक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा, आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी/पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज करा सकेगा।

**दस्तावेजः**–

- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण–पत्र
- बी.पी.एल राशन कार्ड
- परिवार पहचान–पत्र
- अन्य आवश्यक दस्जावेज

**देय लाभ**– गरीब परिवार को लाभ होगा– 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**ः– https://pmjay.gov.in/hi/about/pmjay

# प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

**उद्देश्यः**— बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojanaa) एक अच्छी स्कीम है। इस योजना पर न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पी.पी.एफ) की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा बल्कि, यह माता—पिता की टैक्स प्लानिंग में भी मददगार होता है। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्याज मिल रहा है जो पी.पी.एफ (PPF) के मुकाबले अधिक है।

**पात्रता की शर्ते**— आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं। आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म, बच्ची का जन्म प्रमाण—पत्र, जमाकर्ता (माता—पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। जमाकर्ता के पते का प्रमाण—पत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, खाता खुल जाने पर जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है।

**देय लाभ**— पी.एफ. से अधिक ब्याज मिलेगा और 18 साल की होने के बाद इस खाते से पैसे निकाला जा सकता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://www.india.gov.in/hi/my-government/schemes

# प्रधानमंत्री जन धन योजना

**उद्देश्यः**— वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। किफ़ायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणित हो, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र, उत्तक् व्यक्ति के विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

**देय लाभ**— जमा राशि पर ब्याज, एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा उसकी मृत्यु उपरान्त लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। प्रति परिवार, परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/— रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://www.india.gov.in/hi/my-government/schemes

# प्रधानमंत्री आवास योजना

**पात्रता**– शहरी इलाके में ''सभी के लिए घर'' मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के  इस योजना का लाभ मध्यम परिवार व गरीब परिवार ले सकते हैं।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी, कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है

**देय लाभ**– केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख से 2.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**ः– https://pmaymis.gov.in/

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाएं

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2017 से प्रारंभ की गई है।

**पात्रता**— इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

**आवेदन प्रक्रिया**— आवेदन संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन करें।

**पेंशन दर**— 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपए 750/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 1000/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपए 200/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनरों को 500 रूपए प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://rajssp.raj.nic.in

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

केन्द्रीय सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी, 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है।

**पात्रता**— इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।

**आवेदन प्रक्रिया**— संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पेंशन दर**— 40 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपए 500/— प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 750/— प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 1000/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू. 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपए 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://rajssp.raj.nic.in

## इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवरी, 2009 से प्रारम्भ की है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है।

**आवेदन प्रक्रिया**— आवेदन संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पात्रता**— इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्न श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना गया है—

1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. कुष्ठ रोग मुक्त
4. श्रवण शक्तिह्रास
5. चलन निःशक्तता
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रूग्णता एवं बौनेपन से ग्रसित

**पेंशन दर**— 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष को रूपए 750/— प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष पेंशनर किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/— प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपए 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://rajssp.raj.nic.in

## मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू. 48000/— से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौडी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

**आवेदन प्रक्रिया**— संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पेंशन दर**— 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 750/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 1000/— प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**नोट**— यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://rajssp.raj.nic.in

## मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोंत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपए 48000/— से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति एवं एच.आई.वी. एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आप संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

**आवेदन प्रक्रिया**– संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पेंशन दर**– 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 500/– प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 750/– प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 1000/– एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपए 1500/– प्रतिमाह पेंशन देय है। सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**नोट**– यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिये देखें:– https://rajssp.raj.nic.in

## मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

**पात्रता**– किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्ता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोंतो से) रूपए 60,000/– तक हो, पेंशन का पात्र होगा।

बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौडी खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

**आवेदन प्रक्रिया**– संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पेंशन दर**– 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष को रू. 750/– प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 1000/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रू. 1250/– प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशरन को रू. 1500/– प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु

के पेंशनर को रू. 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

**नोट— यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।**

**अधिक जानकारी के लिये देखें:—** https://rajssp.raj.nic.in

## पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बी.पी.एल. परिवारों तथा आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा लाभ दिए जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05.2017 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किए जाने वाले सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत एवं 51 वर्ष से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किए जाने वाले सदस्यों का पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत सम्मिलित किए जाने का निर्णय किया गया है।

| | अ. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) |
|---|---|---|---|
| पात्रता | ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवार तथा आस्थाकार्डधारी परिवार | ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार | ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवार तथा आस्था कार्ड धारी परिवार |

| आयु | 18—50 वर्ष | 18—50 वर्ष एवं 51 से 59 वर्ष | 51 से 59 वर्ष |
|---|---|---|---|
| प्रीमियम | 330 / — रू. प्रतिवर्ष | 12 / — प्रतिवर्ष | 200 / — प्रतिवर्ष |
| हितलाभ | किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर 02 लाख रू. | क. दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 02 लाख रू.<br>ख. दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होने पर 02 लाख रू.<br>ग. एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना | अ. सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30000 / — रू.<br>ब. दुर्घटना में (क) मृत्यु होने पर 75000 / —रू.<br>स. (ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर<br>द. (ग) 2 आंखे या 2 हाथ / पैर या (LIMB) एक आंख व एक हाथ / पैर की क्षति होने पर 75000 / — रू.<br>(घ) एक आंख या एक हाथ / पैर की क्षति होने पर 37500 / — रू. |

**नोट**— 18 वर्ष से 50 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों को उपरोक्त सारणी के ''अ'' एवं ''ब'' के अनुसार तथा 51 वर्षों से 59 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों हेतु ''ब'' एवं ''स'' के अनुसार मृत्यु / दुर्घटना बीमा लाभ देय होंगे।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://sjms.rajasthan.gov.in

## राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राज्य सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम— 2019 को दिनांक 23.02.2019 को जारी किए था, जो दिनांक 01.03. 2019 से प्रभावी है।

**पात्रता**— लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों के 55 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।

लघु कृषक से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो। उपनियम (ii) में वर्णित लघु कृषक की परिभाषा को राज्य में प्रभावी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र फ. 13 (10)खा.वि. / खा.सु.अ. / 2013 जयपुर दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप परिभाषित करते हुए उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित सीमा में भूमि धारित करता हो–

| क्र. संख्या | जिले का नाम | सिंचित भूमि (हैक्टेयर) | असिंचित भूमि (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|
| 1 | एरिड क्षेत्र– जैसलमेर एवं बाडमेर | 1.50 | 10.00 |
| 2 | एरिड क्षेत्र– बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर | 1.50 | 7.00 |
| 3 | एरिड क्षेत्र– झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाडा | 1.50 | 3.00 |
| 4 | शेष जिलों में | 1.00 | 2.00 |

सीमान्त कृषक से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हो। उपनियम (iii) में वर्णित सीमान्त कृषक की परिभाषा को राज्य में प्रभावी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र फ.13 (10)खा.वि. / खा.सु.अ. / 2013 जयपुर दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप परिभाषित करते हुए उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित सीमा में भूमि धारित करता हो–

| क्र.स. | जिले | सिंचित भूमि (हैक्टेयर) | असिंचित भूमि (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|
| 1 | एरिड क्षेत्र–जैसलमेर एवं बाडमेर | 0.75 | 5.00 |
| 2 | एरिड क्षेत्र– बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर | 0.75 | 3.50 |
| 3 | एरिड क्षेत्र– झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाडा | 0.75 | 1.50 |
| 4 | शेष जिलों में | 0.50 | 1.00 |

**नोट– इन नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि आवेदन राजस्थान सामाजक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है, या प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या उनका पेंशनर हो तो वह इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।**

**आवेदन प्रक्रिया**– संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।

**पेंशन दर**– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 750 प्रति माह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 1000 प्रतिमाह पेंशन देय है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://rajssp.raj.nic.in

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- विशेष समूह मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं–

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

**पात्रता–**

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रू 2.5 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा असुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

**दस्तावेज–**

1. भामाशाह आई.डी
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

**नोट– विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ली जाती है।**

**देय लाभ**– इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– https://sjms.rajasthan.gov.in

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अन्य पिछड़ा वर्ग

**पात्रता–**

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रू. 1.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।

3. छात्र–छात्रा पिछड़ा वर्ग का हो।

4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी है।

5. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो–

अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित श्रेणियां–

1. बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
2. बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
3. अन्त्योदय कार्डधारी की पुत्री
4. अन्त्योदय कार्डधारी का पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
6. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका
8. अनाथ बालक
9. तलाकशुदा महिला की पुत्री
10. विधवा की पुत्री
11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं
13. तलाकशुदा महिला का पुत्र
14. तलाकशुदा महिला का पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं
16. विशेष योग्यजन की पुत्री
17. विशेष योग्यजन का पुत्र

**दस्तावेज**–

1. भामाशाह आई.डी
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र
4. आय घोषणा पत्र

5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका (वर्ष 2019–20 में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं)
7. जाति प्रमाण–पत्र।

**देय लाभ**– योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## डॉ. अम्बेड़कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

**पात्रता**–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अनतर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

**दस्तावेज**–

1. भामाशाह आई.डी
2. आधार कार्ड़
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

**देय लाभ**– इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

# मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

**पात्रता–**

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रू. 5.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात् 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।

**दस्तावेज–**

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड़
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र
4. आय घोषणा–पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंत तालिका

**देय लाभ**– अनुरक्षण भत्ते (Maintenance Allowance) की दरे निम्न प्रकार निर्धारित हैं–

| ग्रुप | कोर्स (यह कोर्स केवल उदाहरणार्थ, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है) | SC/ST/SBC/DNTs | | OBC/EBC | | CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्रावासी | गैर छात्रावासी | छात्रावासी | गैर छात्रावासी | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | IIT AIIMS, MBBS, P.G.,C.A., C.S, M. PHIL, PH.D, D. LITT, LLM, ETC. | 120 0 | 550 | 750 | 350 | योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वलो विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात् 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा। |
| B | B. Pharma, Nursing, LLB, Med, MA, M.Sc, M.com, M.Pharama Diploma etc. | 820 | 530 | 510 | 335 | |
| C | B.A, B.Sc, B.Com | 570 | 300 | 400 | 210 | |
| D | ITI, Polytechnic Diploma Class XI and XII th | 380 | 230 | 260 | 160 | |

**आवेदन कैसे करें**– विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात् आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पत्र विभागीय वेबसाईट Sje.rajasthan.gov.in पर दिए गये लिंक new scholarship portal पर अथवा छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarship.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

## केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना

राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इंजिनीयरिंग, कृषि, पॉलीटेक्निक, विधि, प्रबन्धन, सी.ए. जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाने हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को बजट उपलब्ध करावा जाता है, जिसके अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों में दो छात्रों पर एक सेट के लिए 2400 रू से 7500

रू दिए जाते हैं एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक छात्र पर एक सेट के लिए 5000 रू. आवंटित किए जाते हैं एवं प्रति अलमारी हेतु 2000 रू. तक दिए जाते हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://sjms.rajasthan.gov.in

## छात्रावास योजना

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के 723 राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्र—छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त 83 अनुदानित छात्रावास कुल 806 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2018—19 में 802 छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता 38361 है, जिसके विरूद्ध 34361 छात्र—छात्राएं आवासरत् रहे हैं। सत्र 2019—2020 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारंभ की गई। छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों हेतु मैस भत्ते एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए 2000 रू प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र—छात्राओं को निःशुल्क आवास, पलंग, बिस्तर, बर्तन, भोजन, गर्म जर्सी, स्कूल युनिफॉर्म व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है।

सत्र 2019—20 से छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2.50 लाख रू. से बढ़ाकर 8.00 लाख रू. की गई है, जिससे अधिक से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

सत्र 2019—20 से गत वर्ष छात्रावासों में आवासरत् छात्र/छात्राओं के पुनः प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता के स्थान पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता की गई है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://sjms.rajasthan.gov.in

## आवासीय विद्यालय योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय योजना 1997—98 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों तथा भिक्षावृत्ति एवं अन्य

अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। राज्य में 25 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

**योजना का उद्देश्य**–

के. एफ. डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करावाना है।

**पात्रता**– राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निष्क्रमणीय पशुपालक, भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों के लिप्त परिवारों के तथा अर्थिक पिछड़ा वर्ग के गरीब बालक/बालिकाओं के लिए।

**योजना हेतु पात्रता**– राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रू. से कम हो, आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं।

**आवेदन प्रक्रिया**– आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ऑन लाईन आवेदन पत्र पोर्टल पर आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए जाते हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना

विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभाग के जयपुर (शहर) एवं कोटा (शहर) में संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत छात्र – छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के इन्जीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन व विधि महाविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष 2019–2020 में मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन कर, योजना का संभागीय मुख्यालयों एवं सीकर

जिला मुख्यालय तथा कुचामन सिटी, जिला नागौर में कोचिंग योजना करवाए जाने हेतु संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## अनुप्रति योजना

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल./सामान्य वर्ग बी.पी.एल. तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) जिसने अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

परिवारों के अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रति योजना का निम्नानुसार संचालन किया जा रहा है।

**योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है**–

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु**

| | |
|---|---|
| प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रू. 65,000/– |
| मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रू. 30000/– |
| साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर | रू. 5000/– |

**राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु**

| | |
|---|---|
| प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रू. 25000/– |
| मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रू. 20000/– |
| साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर | रू. 5000/– |

प्रोफेशनल/तकनीक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे आई. आई. टी./आई.आई.एम./एम्स/एन.आई.टी./एल.एल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि रू. 40,000 से 50,000 रू है।

राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10000/– रू है।

**पात्रता**–

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह का हो।
- (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) अन्य पिछडा वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) का सदस्य हो। (अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के सदस्य है वे भी योजना हेतु पात्र होंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रू से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।)
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- आर्थिक पिछडा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थी द्वारा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा (अंतिम परीक्षा) में 85 प्रतिशत अंक होने का प्रमाण–पत्र/अंकतालिका।

**आवेदन**– अभयर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किए जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा। आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जावेगी। उक्त अवधि के उपरानत प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

**दस्तावेज–**

1. भामाशाह आई. डी.
2. आधार कार्ड़
3. परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. मूल निवास प्रमाण–पत्र
6. जाति प्रमाण–पत्र
7. फीस की रसीद
8. आई.डी.कार्ड
9. बैंक खाता संख्या
10. बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–** https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=370

## विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रू. 51000/– देने का प्रावधान है।

उक्त योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के संबंधित जिला अधिकारी को आवेदन करता होगा, जिसकी आवश्यक जांच पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–** https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=370

# सहयोग एवं उपहार योजना

सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015 जारी किए गए।

**पात्रता–**

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होंगे।
3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
4. समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवार।
5. सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार।
6. आस्था कार्डधारी परिवार।
7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी।
   - महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
   - विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रू वार्षिक से अधिक नहीं हो।
   - परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।
8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता–पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रू. 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में

संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=370

## संभाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य महिला सदन

राज्य में विभाग द्वारा महिलाओं के पुनरूत्थान, सुरक्षा, जीविकोपार्जन आदि की दृष्टि से राज्य महिला सदन/संभाग स्तरीय नारी निकेतन के नियमानुसार संचालित है, जिनका मुख्य उद्देश्य अनैतिक व सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमें नवजीवन का संचार करना है। महिला सदन जयपुर एवं सभाग स्तरीय नारी निकेतनों में महिलाओं को प्रवेश देकर निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनर्वास व्यवस्था के अन्तर्गत जिन आवासनियों के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है, उनको संबंधित जिलों के न्यायालयों एवं निर्णयानुसार आवासिनियों को उनके अभिभावक व संरक्षकों को सौंप दिया जाता है। साथ ही राज्य महिला सदन जयपुर/नारी निकेतन में निवासित आवासिनियों को विवाह द्वारा भी पुनर्वासित किया जाता है। आवासिनियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## उज्जवला योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्जवला योजनान्तर्गत देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

**योजना का उद्देश्य**–

- सामाजिक योगदान और जनता में जागरूकता बढ़कर, जगह–जगह

नुक्कड नाटक, फिल्मों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनकी तस्करी को रोकना।

- पीडितों को शोषण के स्थान से बचाने के लिए सुरक्षित जगह ले जाना।
- पीड़ितों को तत्काल और दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी एवं कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- पीड़ितों को परिवार और समाज में पुनःस्थापन की सुविधा प्रदान करना।
- सीमावर्ती पीड़ितों को अपने देश भेजने की सुविधा प्रदान करना।

**लक्षित समूह–**

- ऐसी महिलाएं और बच्चे जो कि व्यावसायिक यौन शौषण की चपेट में आ जाने पर असुरक्षित हैं।
- ऐसी महिलाएं और बच्चे जो कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार हैं।

**योजना के घटक–**

- निवारण
- बचाव
- पुनर्वास
- पुनः एकीकरण
- देश–प्रत्यावर्तन

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## स्वाधार गृह योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके।

**उद्देश्य–**

1. बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली व्यथित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना।
2. दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार एवं व्यथित महिलाओं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ़ कर उन्हें समर्थ बनाना।
3. परिवार समाज में स्वयं को पुनः अवस्थित करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. आर्थिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण पुनः स्थापित करना।
5. व्यथित महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने और उन्हें पूरा करने के लिए सहायक तंत्र के रूप में काम करना।
6. सम्मान एवं विश्वासपूर्वक नए सिरे से जीवन आरंभ करने के योग्य बनाना।

**कार्यनीति–**

- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि सहित अस्थायी आवास
- ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनःस्थापन हेतु व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण
- काउंसलिंग, जागरूकता में बढ़ोतरी तथा आचरण संबंधी प्रशिक्षण
- कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन
- दूरभाष द्वारा काउंसलिंग

**लाभार्थी**– निम्न वर्गों से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है–

- बिना किसी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता वाली परित्यक्त महिलाएं।
- प्राकृतिक आपदा के पश्चात् बेघर हुई महिलाएं, जिन्हें कोई सामाजिक अथवा आर्थिक सहायता या सहयोग प्राप्त नहीं है।
- जेल से रिहा की गई ऐसी महिलाएं जिनका कोई परिवार नहीं है तथा जो सामाजिक आर्थिक रूप से असहाय हो।
- घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह से पीडित महिला जो गुजारा भत्ता के बगैर या घर छोडने पर विवश हो तथा ऐसी महिलाएं शोषण और/या

वैवाहिक कलह के कारण मुकदमेबाजी झेल रही हो, और उनके पास कोई विशेष सुरक्षा उपाय न हो।

- महिलाओं के अवैध व्यापार/वैश्यालयों से छुड़ाई गई या भाग कर बचकर आई हुई बालिकाओं या अन्य स्थानों से जहां वे शोषण का शिकार हो जाती है तथा एच. आई. वी./एड्स से पीड़ित सामाजिक या आर्थिक सहायता से विहीन महिलाएं। यद्यपि ऐसी महिलाएं/बालिकाएं पहले उज्जवला स्कीम के अन्तर्गत, जहां कहीं भी लागू होगी, सहायता प्राप्त करेंगी।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**— https://sjms.rajasthan.gov.in

## विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना

**पात्रता की शर्तें**—

1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन हो।
3. विशेष योग्यजन (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता—पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का शपथ पत्र, उत्तीर्ण/अंतिम चयन एवं प्रवेश का दस्तावेज होने पर।

**देय लाभ** — विभिन्न स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने एवं प्रवेश लेने पर रू. 5,000 से लेकर 65,000 तक अधिकतम 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**— https://sjms.rajasthan.gov.in

## आस्था योजना

**पात्रता की शर्ते**– ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष योग्यजन हो और उस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– परिवार में दो या दो से अधिक विशेष योग्यजन हैं। उनका आस्थाकार्ड ऑनलाइन जारी किया जा चुका है। जिसे वह सम्बन्धित जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में राशन कार्ड की छाया प्रति, विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति, आय का शपथ पत्र, विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता दर्शाता हुआ एक–एक फोटो एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।

**देय लाभ**– विशेष योग्यजन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी यथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, राशन सामग्री में रियायत, पेंशन विभाग की अन्य योजनाएं इत्यादि।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

**पात्रता की शर्ते**

1 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा।

2 राजस्थान का मूल निवासी हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– विज्ञप्ति द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में, विज्ञापन जारी किया जाता है तत्पश्चात् आवेदक अपने जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर निर्धारित श्रेणी एवं प्रारूप में जिलाधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निर्धारित आवेदन पत्र विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का विवरण, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा श्रेणी अनुसार निःशक्तता दर्शाता फोटो।

**देय लाभ–**

**व्यक्ति या संस्था को:–**

1. कम से कम 10,000 / – एवं अधिकतम 15,000 / – रूपये तक नकद पुरस्कार प्रशस्ति प्रमाण–पत्र एवं मोमेन्टो।
2. राज्य स्तरीय चयन समिति के निर्णयानुसार। (सरकारी / अर्द्धसरकारी कार्यालयों को नकद राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।)

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–** https://sjms.rajasthan.gov.in

## पोलियो करैक्शन कैम्प

**पात्रता की शर्ते–** राजस्थान राज्य का कोई भी पोलियोग्रस्त विशेष योग्यजन।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें–** शिविर स्थल पर पंजीकरण करावें तथा आयोजक के कार्यक्रमानुसार उपस्थित होना चाहिए। चिकित्सक दल द्वारा निरीक्षण करने पर पात्र पाये जाने पर शिविर स्थल पर अथवा चयनीत चिकित्सालयों में ऑपरशेन करा सकते हैं।

**देय लाभ–** प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को रूपये 5,000 / – चिकित्सक सहित समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर राजकीय चिकित्सालय को 2000 / – प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–** https://dsap.rajasthan.gov.in/admin/uploadedFiles/64b47fd8-bbbe-4536-80f8-6944f422cb5b.pdf

## विशेष योग्यजन खेल–कूद योजना

**पात्रता की शर्ते**

1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
2. अभ्यर्थी विशेष योग्यजन हो।
3. योजनान्तर्गत कोई भी विशेष योग्यजन खेलकूद / सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में रूचि रखता हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें–** सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

**देय लाभ**— जिला स्तर पर 75,000/— संभाग स्तर पर 1,00,000/— राज्य स्तर पर 1,25,000/— का बजट संबंधित जिलाधिकारी को आवंटित किया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**— https://dsap.rajasthan.gov.in/orders.aspx

## विशेष योग्यजन के लिये स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना

**पात्रता की शर्तें**

1. प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो। जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन के साथ राशन कार्ड की छाया प्रति, निःशक्तता प्रमाण—पत्रों की छायाप्रति, आय का शपथ पत्र, विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता दर्शाता हुआ एक—एक फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

**देय लाभ**— स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**— https://dsap.rajasthan.gov.in/orders.aspx

## विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

**पात्रता की शर्तें**

1. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्त प्रमाण पत्र हो।

3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

4. संरक्षक / माता–पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 / – रूपये से अधिक न हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन के साथ शादी का कार्ड, निःशक्तता प्रमाण पत्र, वर वधु के माता–पिता का शपथ पत्र, आय का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

**देय लाभ** – प्रति दम्पत्ति राशि 50,000 / – की अनुदान सहायक स्वीकृत की जाती है, दोनों के विशेष योग्यजन होने पर भी अनुदान राशि अधिकतम 50,000 रूपये ही देय होगी।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://dsap.rajasthan.gov.in/orders.aspx

## डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह

**पात्रता की शर्तें**– अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक / युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती / युवक के साथ विवाह करने पर इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें** – अनुसूचित जाति के युवक / युवतियों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए साथ ही WWW. Rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।

**देय लाभ**– प्रत्येक युगल को राज्य सरकार द्वारा 5.00 लाख रूपये (अक्षरे पांच लाख) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किये जायेगें।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## अम्बेड़कर पुरस्कार योजना

**पात्रता की शर्तें**– अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 10वीं व 12वीं के छात्र–छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकेगें।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 10वीं व 12वीं के छात्र–छात्रा जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल (डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती ) से पहले आवेदन करना होगा।

**देय लाभ**– अम्बेड़कर शिक्षा पुरस्कार स्वरूप 51–51 हजार रूपये नगद दिये जाते हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## अन्त्येष्टि अनुदान योजना

**पात्रता की शर्ते**– इस योजना का लाभ वे स्वयंसेवी संस्थाऐं ले सकेंगी जो किसी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक का ससम्मान दाह संस्कार करती है।

**संलग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्क्रीनिंग समिति के सामने स्वंयसेवी संस्थाऐं लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक का दाह संस्कार करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

**देय लाभ**– इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार रूपये का पुनर्भरण किया जावेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://sjms.rajasthan.gov.in

## देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

**पात्रता की शर्ते**– राजस्थान का मूल निवासी हो तथा इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडालिया, गूर्जर, राईका रेबारी गडरिया के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्र हेतु ओ.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र जिसमें जातियां अंकित हो तथा आवेदक के माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक न हो। यदि अन्य को छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो किसी एक योजना का लाभ ले सकते हैं। यह छात्रवृत्ति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान सें मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठयक्रमों (Post Matriculation or post-Secondary courses ) मे अध्ययन हेतु देय होगी।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— आय उद्घोषण पत्र, शपथ पत्र, दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य प्रमाण आवेदन के साथ गत वर्ष की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं फीस की मूल रसीद संलग्न हो तथा विभागीय वेबसाइट सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

**देय लाभ**— निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर प्रतिमाह समूह 1 को छात्रावासी 1200 रूपये व डे–स्कॉलर 550 रूपये, समूह 2 को छात्रावासी 850 रूपये व डे–स्कॉलर 530 रूपये, समूह 3 को छात्रावासी 570 रूपये व डे–स्कॉलर 300 रूपये तथा समूह 4 को छात्रावासी 380 रूपये व डे–स्कॉलर 230 रूपये वित्तीय वर्ष में लाभ देय होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://sjms.rajasthan.gov.in

## देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना

**पात्रता की शर्तें**— राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो तथा इस योजना का लाभ अति पिछडा वर्ग की छात्राएं ले सकती हैं। वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वी में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हों। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्तांक की प्रतिशत की वरीयता सूची के अनुसार प्रतिवर्ष 1000 स्कूटी दी जायेगी तथा छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की आय दो लाख रूपये से कम हो।

**संलग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— आय उद्घोषण पत्र, शपथ पत्र, दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य प्रमाण आवेदन के साथ गत वर्ष की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा विभागीय वेबसाइट सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

**देय लाभ**— स्नातक प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000/— रूपये प्रति वर्ष देय होगा। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 20,000/— रूपये प्रतिवर्ष देय होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://sjms.rajasthan.gov.in

## संयुक्त सहायता अनुदान योजना

**पात्रता की शर्तें**— राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो, आयकर दाता नहीं हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— निःशक्तता प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय का शपथ पत्र, पहचान प्रमाण पत्र के साथ विभाग की वेबसाईट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करें।

**देय लाभ**— कृत्रिम अंगो एवं उपकरणों के लिए अधिकतम राशि 10,000 रूपये तक की सहायता दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://dsap.rajasthan.gov.in/orders.aspx

## विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना

**पात्रता की शर्तें**— राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो, आयकर दाता नहीं हो। वार्षिक आय 2 लाख से कम हो ऐसे किसी भी वर्ग के छात्र छात्राऐं।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— निःशक्तता प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय का शपथ पत्र, पहचान प्रमाण पत्र व गत वर्ष की अंकतालिका के साथ विभाग की वेबसाईट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करें।

**देय लाभ**— 1 से 4 तक 40 रूपये प्रतिमाह व 5 से 8 तक 50 रूपये प्रतिमाह तथा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://dsap.rajasthan.gov.in/ orders.aspx

## मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

**पात्रता की शर्तें**— राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी

मेडिकल बोर्ड द्वारा निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो, आयकर दाता नहीं हो। आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए । वार्षिक आय दो लाख से कम हो। निशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिए।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— निःशक्तता प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय का शपथ पत्र, पहचान प्रमाण पत्र व गत वर्ष की अंकतालिका के साथ विभाग की वेबसाईट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करें।

**देय लाभ**— स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रूपये तक की राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराई जाती है ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रूपये अनुदान दिया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://dsap.rajasthan.gov.in/ orders.aspx

## विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना

**पात्रता की शर्ते**— प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो,

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— निःशक्तता प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, की अंकतालिका के साथ विभाग की वेबसाईट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करें।

**देय लाभ**— विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी तथा UDID उपलब्ध करवाना ।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://dsap.rajasthan.gov.in/ orders.aspx

# सिंचाई विभाग की प्रमुख योजनाएं

## असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना

**पात्रता की शर्ते–**

1. किसान
2. भूमि विकास बैकों से ऋण प्राप्त कर निर्मित कूपों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार असफल

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– प्रार्थना पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज– भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ–पत्र संलग्न करें। प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा–बैंक/शाखा में प्रस्तुत करना होता है। आवेदन को सम्बन्धित प्रा.–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा।

**देय लाभ**– बकाया मूल ऋण के 50 प्रतिशत राशि की सहायता स्वीकृत की जाती है। (शेष 50 प्रतिशत में 40 प्रतिशत राज्य भूमि विकास बैंक एवं 10 प्रतिशत प्राथमिक बैंक द्वारा वहन किया जाता है।) तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

## डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना

**पात्रता की शर्ते–**

1. किसान
2. नहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त एवं असामयिक होने के कारण फसल सिंचाई में कठिनाई आती है। अतः इस कठिनाई से बचने के लिए नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण कर फव्वारा द्वारा सिंचाई की सुनिश्चितता की जाती है।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– प्रार्थना पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज– जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो–ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ–पत्र उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करें। प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा–बैंक/शाखा में प्रस्तुत करना होता है एवं कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्रा–बैंक के पक्ष में बन्धक करनी होती है।

**आवेदन** – सम्बन्धित प्रा–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा/कृषि विभाग।

**देय लाभ**– ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, पुनर्भुतान अवधि 9 वर्ष, अनुदान उपलब्ध। राज्य सरकार द्वरा जारी अनुदान कृषि विभाग द्वारा देय होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

## फव्वारा सिंचाई योजना

**पात्रता की शर्तें**–

1. किसान
2. फव्वारा संयत्र द्वारा पानी की बचत करते हुए समान रू९ से पूर्ण भूमि पर आवश्यकतानुसार सिंचाई की जा सकती है। इसके द्वारा फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– प्रार्थना पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेजः– जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ–पत्र उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करें। प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा–बैंक/शाखा में प्रस्तुत करना होता है एवं कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथ–बैंक के पक्ष में बन्धक करनी होती है। आवेदन को सम्बन्धित प्राथ–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा/कृषि विभाग।

**देय लाभ**– ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, पुनर्भुतान अवधि 9 वर्ष, अनुदान उपलब्ध। राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान कृषि विभाग द्वारा देय होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

## पाईप लाईन योजना सिंचाई योजना

**पात्रता की शर्तें**

1. किसान
2. भूजल का अधिकतम उपयोग करने हेतु एवं खेतों में पानी पहुॅचाने के लिये पक्की नाली, एच–डी–पी–ई तथा पी–वी–सी– पाईप लाईन हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– प्रार्थना पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज– जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज

प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ–पत्र उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करें। प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा–बैंक/शाखा में प्रस्तुत करना होता है एवं कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथ–बैंक के पक्ष में बन्धक करनी होती है।

**आवेदन करे**– सम्बन्धित प्राथ–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा।

**देय लाभ**– ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, उद्यान विभाग द्वारा अनुदान देय, पुनर्भुगतान अवधि 10–15 वर्ष।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

## नलकूप /बोरवैल एवं पम्पसैट योजना

**पात्रता की शर्ते**– किसान

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें** – पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज, जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र प्राथ–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा।

**देय लाभ**– ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, पुनर्भुगतान अवधि 9–12 वर्ष ।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

## बून्द बून्द सिंचाई योजना

**पात्रता की शर्ते**– किसान उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि कार्य किया जाना।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज, जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र प्राथ–भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा

**देय लाभ**– ब्याज दर 11.50 प्रतिशत, पुनर्भुगतान अवधि 10–15 वर्ष।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rsldb.nic.in/Laghu_sinchai_vibhin_schemes.html#b

# महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं

## गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 2016

**योजना के उद्धेश्यः–** बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना व बालिका जन्म, पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार आदि के संबंध में भेदभावपूर्ण मानसिकता समाप्त करना एवं जीवन के प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं के प्रति लैंगिक समानता, सम्मान, गौरव का वातावरण विकसित करना।

**पात्र लाभार्थीः–**

**अ. व्यक्तिगत**

1. 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसने स्वयं अथवा अन्य किसी बालिका/महिला के साथ हिंसा या शोषण को रोका है।
2. मानदेय कर्मी
3. अन्य व्यक्ति–महिला अथवा पुरुष

**ब. संस्थागतः–**

1. स्वयं सेवा संगठन/ट्रस्ट
2. कॉर्पोरेट घराने
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4. सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन

**आवेदन कैसे करेंः–**

1. निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा विज्ञप्ति जारी करना– प्रत्येक वर्ष जुलाई माह
2. आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रकिया के अनुसार निदेशालय अनुशंषा प्रेषित करना – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक
3. निदेशालय स्तर पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार पात्र नामों का चयन करना– प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर

**देय लाभः–** पुरस्कार स्वरुप प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को 25,000 रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः–** http://wcd.rajasthan.gov.in/

## धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण योजना

**योजना के उद्धेश्य**– स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों के विपणन तथा महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये एक मंच प्रदान करना।

**पात्र लाभार्थी**:– महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये।

**लाभ**:– ये केन्द्र महिला संदर्भ केन्द्र के रुप में कार्य करेंगे।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://wcd.rajasthan.gov.in/

## बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बी.बी.बी.पी.)

**योजना के उद्धेश्य**:– जेन्डर पक्षपाती लिंग जांच को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

**पात्र लाभार्थी**:– बालिकाओं के लिये।

**देय लाभ**:– बालिकाओं के पोषण की स्थिति में सुधार, 5 वर्ष तक की बालिकाएं जिनका वजन कम है उनकी संख्या को कम करना, चयनित जिलों के प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय का प्रबंध करना, एक वर्ष में जन्म लिंग अनुपात में 02 अंकों तक सुधार आदि।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://wcd.rajasthan.gov.in/

## स्वावलम्बन योजना

**योजना के उद्धेश्य**:– निर्धन, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना तथा महिलाओं को परम्परागत एवं गैर परम्परागत व्यवसायों में आय जनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वरोजगार के लिये अग्रसर करना।

**पात्र लाभार्थी**:– 30 प्रतिशत एकल नारी/विधवाएं/एड्स पीडित/परित्यकता महिलाओं, पिछडे तबकों की आर्थिक रुप से कमजोर महिलाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं किशोरी बालिकाएं।

**आवेदन कैसे करें**:–

1. निदेशालय द्वारा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।
2. विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात जिलों के कार्यक्रम अधिकारी म.अ. कार्यालयों से निर्धारित शुल्क रु 250/– देकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र को पूर्ण रुप से भरकर प्रस्ताव सहित (एक प्रति में) निर्धारित अन्तिम तिथि तक संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी, म. अ. कार्यालय में यथा समय जमा कराना होगा।
4. एक स्वयंसेवी संस्था किसी भी एक जिले के किसी भी आई.सी.डी.एस. ब्लॉक के लिए एक ही गतिविधि हेतु आवेदन कर सकती है। एक से अधिक ब्लॉक अथवा गतितिधि हेतु आवेदन करने के लिए संस्था को पृथक से आवेदन करना होगा।

**देय लाभ**:– ट्रेनिंग कार्यक्रम जैसे रेडीमेड गारमेन्ट्स, कपडे के बैग बनाना, ब्यूटीशियन, सॉफ्ट टॉयज, हैण्ड मेड पेपर, लकडी की कलात्मक वस्तुएं आदि।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://wcd.rajasthan.gov.in/

## नन्द घर योजना

**योजना के उद्धेश्य**:– ऑगनबाडी केन्द्रों को आधुनिक बनाने व सामुदायिक सहयोग को सुनिश्चित करना।

**पात्र लाभार्थी**:– प्राईवेट दानदाता, सामाजिक ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन व कॉरपोरेट के तहत एक या अधिक ऑगनबाडी केन्द्रों को अडॉप्ट करेंगे जिनका 5 साल तक के लिये आवश्यक अतिरिक्त फन्डिंग आदि करें।

**लाभ**:– ऑगनबाडी केन्द्र के लिये आवश्यक मानदण्ड के अनुसार भूमि उपलब्ध कराना, भूमि पर भवन निर्माण चार दिवारी करना जिसका व्यय दान दाता/स्वयं सेवी संस्था/ कॉर्पोरेट द्वारा किया जायेगा, 5 वर्ष तक के लिये प्रतिवर्ष 10,000/–रुपये तक आवश्यक सहयोग करना, तथा ऑगनबाडी केन्द्र का रख–रखाव व आदर्श केन्द्र के रुप में विकसित करना।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— http://wcd.rajasthan.gov.in/

## मुख्यमंत्री राजश्री योजना

**योजना का उद्देश्य**— राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में समारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज श्री योजना लागू की गई है।

**पात्रता**— राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता।

**लाभ**—

अभिभावक को कुल राशि 50,000 / —रू

| | |
|---|---|
| जन्म के समय— | 2500 रू |
| 01 वर्ष के टीकाकरण पर | 2500 रू |
| पहली कक्षा में प्रवेश पर | 4000 रू |
| कक्षा 6 में प्रवेश पर | 5000 रू |
| कक्षा 10 में प्रवेश पर | 11000 रू |
| कक्षा 12 पास करने पर | 25000 रू |

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का भुगतान ऑनलाईन लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— http://wcd.rajasthan.gov.in/

# श्रम विभाग की प्रमुख योजनाएं

# निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

**योजना के उद्धेश्यः**— मण्डल में पंजीकृत एवं पात्रता धारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से लाभन्वित करना है।

**पात्रता व शर्तें** :— मण्डल में हिताधिकारी के रुप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, हिताधिकारी के नाम में बैंक में बचत खाता हो, हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो, हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाअें या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रिमियम राशि की कटौती किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो, हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौती कराई गई हो।

**लाभः**—

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई वार्षिक प्रिमियम राशि 12.00 रुपये का शत प्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330.00 रुपये के 50 प्रतिशत, अर्थात् 165.00 रुपये का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
3. अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई वार्षिक अंशदान राशि में से, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000/— रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत, अर्थात् आधी अंशदान राशि का पुरर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

## शुभ शक्ति योजना

**पात्रता की शर्ते**— लड़की के पिता या माता अथवा दोनों में एक श्रमिक विभाग में पंजीकृत हों, हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, राजपत्रित अधिकारी सत्यापित होना चाहिए। हिताधिकारी की पुत्री कम से कम 8वीं उर्तीण हो।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और विवाह से 6 माह पूर्व व 6 माह बाद तक आवेदन कर सकते।

**देय लाभ**— 55,000/— पचपन हजार रूपये हिताधिकारी का प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

## कोविड—19 योजना

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को राज्य स्तर से रू 2500/— (1000 एवं 1500) कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति में जरूरतमंद परिवारों को राशि सहायता उपलब्ध करावाई जा रही है।

**पात्रता की शर्ते**—

1. बी.पी.एल, राज्य बी.पी.एल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।
2. **पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।**
3. **सडक पर ठेले/रेडी पर समान बेचने वाले व अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक, निराश्रित तथा असहाय जरूरतमन्द परिवार।**

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— जन आधार से ई मित्र पे ऑनलाईन आवेदन करे।

**देय लाभ**— जरूरतमंद परिवार को 1000/— प्रति परिवार एक बार यह सहायता उपलब्ध कराई गई।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:— https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

# निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
# (भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत)

**पात्रता एवं शर्तेः—**

1. मण्डल में हिताधिकारी के रुप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों,
2. हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहित सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे,
3. हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति–पत्नी दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति–पत्नी के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होंगी परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी,
4. कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रुप से अध्ययनरत हो, अथवा
5. राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आई.टी.आई एवं पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हों,
6. मेधावी छात्र–छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12वीं तक की परीक्षा 75 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड़ प्राप्त की gks@mRrh.kZ की हों,
7. हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हों,
8. किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद ही देय होगी,
9. ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति

की पात्रता होगी परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा,

10. अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान जमा नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे अंशदान के जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नी को योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकारी पुनःस्थापन होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

**आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रियाः–**

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव, द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– आवेदन पत्र कक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में अथवा तत्पश्चात् आने वाली 31 मार्च तक, जो भी बाद में हो प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव, द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर छात्रवृत्ति हिताधिकारी के बैंक खाते मे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

**आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–**

1. हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।
2. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें

हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता सं. व आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो) की प्रति।

3. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक)

4. जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाही गई हैं, उसकी अंकतालिका की स्व प्रमाणित प्रति।

5. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाना आवश्यक हैं।

**देय हितलाभः—**

| छात्रवृत्ति | कक्षा 6 से 8 | | कक्षा 9 से 12 | | आईटीआई | | डिप्लोमा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा/विशेष योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेश योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेष योग्य जन |
| राशि रु. | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |

| छात्रवृत्ति | स्नातक (सामान्य) | | स्नातक (प्रोफेशनल) | | स्नातकोत्तर (सामान्य) | | स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा/विशेष योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेश योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेश योग्य जन | छात्र | छात्रा/विशेश योग्य जन |
| राशि रु. | 13,00 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 15,000 | 17,000 | 23,000 | 25,000 |

| मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार | कक्षा 8 से 10 | कक्षा 11—12 | डिप्लोमा | स्नातक | स्नातकोत्तर | स्नातक (प्रोफेशनल) | स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि रु. | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 | 35,000 |

**अधिक जानकारी के लिये देखें:—** https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

## निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
## (भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत)

**उद्धेश्यः**– इस योजना का उद्धेश्य मण्डल की विद्यमान योजना (हिताधिकारियों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान योजना) के स्थान पर केन्द्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी अवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की पात्रत रखने वाले हिताधिकारियों को उक्त योजनाओं में आवास प्राप्त करने के लिए अथवा हिताधिकारियों के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना हैं।

**पात्रता एवं शर्तेः**–

1. मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रुप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हों।
2. हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो (वैकल्पिक),
3. यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनता हैं तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/संपत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो,
4. वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा,
5. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें व पात्रता पूरी करता हो,
6. लाभार्थी के निर्माण श्रमिक/पंजीकृत हिताधिकारी होने की जाँच/पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जायेगी तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग या एजेन्सी द्वारा की जायेगी,

7. स्वयं की बचत से या बैंक वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से ऋण प्राप्त कर आवास निर्माण करने की स्थिति में, जहां नियमों में आवश्यक हो, स्थानीय ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम या अन्य राजकीय संस्थान से भवन का मानचित्र व ले–आउट प्लान स्वीकृत होना आवश्यक होगा,
8. आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होगा,
9. हिताधिकारी आवास हेतु सहायता/अनुदान प्राप्त करने के उपरांत 10 वर्ष तक निर्माण अथवा क्रय किए गए अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये आवास का बेचान, एग्रीमेंट टू सेल या अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो अनुदान की राशि हिताधिकारी से पुनः वसूल की जायेगी,
10. यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी,
11. जिन हिताधिकारियों ने मण्डल की विद्यमान योजना के अन्तर्गत सहायता/अनुदान राशि प्राप्त की है अथवा जिनको विद्यमान योजना में अनुदान/सहायता राशि प्राप्त होती हैं अथवा जिन्हें इस योजना में स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त होता हैं, वे राज्य/केन्द्र सरकार की किसी आवास योजना में आवास अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे,
12. हिताधिकारी को जीवनकाल में एक बार ही आवास अनुदान देय होगा अर्थात् मण्डल की विद्यमान योजना में आवास हेतु अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाले हिताधिकारी इस योजना में आवास अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें,
13. पति व पत्नी दोनों के हिताधिकारी होने की स्थिति में वे एक ही आवास के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

**योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रियाः–**

1. आवेदक को निर्धारित प्रपत्र–2 में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य

विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा,

2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा,

3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण तिथि से एक वर्ष की अवधि में, अथवा केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता होने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,

4. स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन–पत्रों के परीक्षण उपरांत, स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में यथोचित जाँच कर, आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने तथा आवेदन के निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन करने के उपरांत, अनुदान स्वीकृति आदेश जारी करेंगे। अस्वीकृति की दशा में आवेदनकर्ता को उक्त अवधि में कारण सहित अवगत कराएंगे।

5. संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अनुदान स्वीकृति के पश्चात किसी भी समय आवेदक के अपात्र पाए जाने पर, यथोचित जांच उपरान्त आवास अनुदान/सहायता की भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित से ''भू राजस्व के बकाया'' की तरह कर सकेंगें,

6. केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में पात्र पाये गये हिताधिकारी को, संबंधित योजना की शर्तों के अनुसार, आवास आवंटित किये जाने और अनुदान स्वीकृति के पश्चात् किसी भी समय आवेदक के अपात्र पाये जाने पर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी यथोचित जांच उपरान्त आवास अनुदान/सहायता की भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित से ''भू राजस्व के बकाया'' की तरह कर सकेंगे।

**विशेष**:– सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगें।

**आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज**:–

1. हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता सं. व आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
3. हिताधिकारी के आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति
4. भामाशाह कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।
5. बी.पी.एल श्रेणी में आने वाले हिताधिकारी (यदि लागू हो तो)।
6. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
7. विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
8. पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
9. केवल दो पुत्रियाँ हों (यदि लागू हो तो)।
10. हिताधिकारी की वार्षिक आय, प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (रुपये में)।
11. भूखण्ड पर स्वयं का या पति/पत्नी का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
12. प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबधित दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
13. संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आंकलन/प्राक्कलन तथा ले–आउट प्लान की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
14. वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबधित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
15. स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण–पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्व–प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
16. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल

हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्व–प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)

**योजना में देय हितलाभः–**

1. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।
2. स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः–** https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

## भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

**आवेदन की प्रक्रियाः–**

1. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित द्वारा एवं पीड़ित होने की दशा में स्वयं हिताधिकारी द्वारा संबंधित जिला श्रम कार्यालय में अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन संलग्न प्रारुप–1 में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए जायेंगेः–
    1. हिताधिकारी परिचय पत्र/पुस्तिका की प्रति।
    2. न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण–पत्र
    3. बैंक खाते का विवरण

**<u>आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधिः–</u>**

सहायता राशि हेतु आवेदन न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण–पत्र दिये जाने की तिथि से 06 माह की अवधि तक तथा मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक किया जा सकेगा। विशेष स्थितियों में, विलम्ब का संतोषप्रद व उचित कारण स्पष्ट करने पर, मण्डल सचिव द्वारा समय–सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

**देय सहायता राशिः–**

1. सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 1.00 लाख रुपये।
2. सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 3.00 लाख रुपये।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः–** https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx

# स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाएं

# जननी सुरक्षा योजना

**जननी सुरक्षा योजना के उद्धेश्यः**— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों (LPS) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

JSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की देखभाल के साथ नकद सहायता को एकीकृत करती है। योजना ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में पहचाना है।

**पात्रताः**— यह योजना गरीब गर्भवती महिला पर केंद्रित है, जिसमें राज्यों के लिए कम संस्थागत प्रसव दर है, अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर, जहां इन राज्यों को लो परफॉर्मिंग स्टेट्स (LPS) नाम दिया गया है, वहीं बाकी राज्यों को हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स (HPS) नाम दिया गया है।

LPS सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जैसे उप केंद्रों (SCs)/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC)/प्रथम रेफरल इकाइयों (FRU)/सामान्य वार्डों या जिला या राजकीय अस्पतालों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं

HPS सभी BPL/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जैसे SC/ PHC/CHC/FRU/ जिला या राज्य अस्पताल के सामान्य वार्डों में पहुंचाने वाली महिलाएं

मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में LPS और HPS BPL/SC/ST महिलाएं

**देय लाभः**—

| Category | Rural area | | Total | Urban area | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mother's package | ASHA's package* | | Mother's package | ASHA's package** | (Amount in Rs.) |
| LPS | 1400 | 600 | 2000 | 1000 | 400 | 1400 |
| HPS | 700 | 600 | 1300 | 600 | 400 | 1000 |

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**— https://www.india.gov.in/hi/my-government/schemes

# मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

**उद्देश्य** – मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को ''02 अक्टूबर, 2011'' को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों को लाभ देना है।

**पात्रता**– यह योजना सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए शुरू की गयी है, इसलिए मरीज के पास राज्य का मूल निवास का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

**देय लाभ** – इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े सभी अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र पर आने वाले सभी बाहरी और अंतरण मरीजों को आवश्यक दवाइयां मुफ्त में प्रदान की जाती हैं।

उच्च गुणवत्ता व कम लागत की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल, जिसके अन्तर्गतः–

1. राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
2. आम वर्ग के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है।
3. धन की कमी के चलते चिकित्सा सेवाओं से वंचित लोगों का ईलाज सम्भव होगा।
4. दवाईयां व इन्जेक्शन आदि के साथ–साथ सामान्यतः उपयोग में आने वाले सर्जिकल आईटम्स् जैसे निडल, डिस्पोजेबल सिरींज, आई.वी.ए. ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट व टाकों हेतु सीजर्स आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिये देखें:–

https://health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/department-of-medical--health---family-welfare/hi/CM-free-drug-plan.html#

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

**उद्देश्य**— यह योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूदा प्रयोगशालाओं और जांच सुविधाओं को मजबूत करने व सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को आवश्यक जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

**पात्रता**— यह योजना सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए शुरू की गयी है। इसलिए मरीज के पास राज्य का मूल निवास का प्रमाण होना आवश्यक है।

**देय लाभ**— सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को आवश्यक जांच सुविधाएं निःशुल्क करवायी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः—**
https://health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/department-of-medical--health---family-welfare/hi/CM-free-drug-plan.html#

# आयोजना विभाग की प्रमुख योजनाएं

# जन आधार योजना

**योजना के उद्धेश्यः**— राज्य के निवासी परिवारों की जन सांख्यिकीय एवं सामाजिक—आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'' प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते दस्तावेज के रुप में मान्यता प्रदान कराना।

नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तथा गैर—नकद लाभ आधार/जन—आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय

राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई—कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य—कार्ड जारी करने की आवश्यकता के मद्देनजर जन—आधार व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जायेगा।

**पात्रताः**— सभी विभागों द्वारा जन—आधार डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से ही परिवार की पात्रता निर्धारित कर सेवाएं/लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे।

यदि किसी परिवार को अपनी पात्रता/दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित होगा तो जन—आधार डेटा रिपोजिटरी में ही परिवर्तन करवाना होगा। विभागीय योजनाओं में पृथक से अद्यतन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

**देय लाभः**— पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:—**
https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/content/dam/doitassets/janaadhaar/PDF/jan-aadhaar-yojana-book.pdf

# नाबार्ड की प्रमुख योजनाएं

# डेयरी उद्यमिता विकास योजना

**योजना के उद्धेश्यः**— पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, खरीद, संरक्षण, परिवहन, प्रसंस्करण और दूध के विपणन जैसी गतिविधियों की बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को पूंजीगत सब्सिडी की सहायता प्रदान करने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.) को लागू किया जा रहा है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

**पात्र लाभार्थीः**—

1. किसान, व्यक्तिगत उद्यमी तथा असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह, संगठित क्षेत्र के समूह, संगठित क्षेत्र के समूह के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह एवं दुग्ध संगठन अपने सदस्यों के पक्ष में, डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध संघ, पंचायती राज संस्थाएं आदि योजना के अधीन पात्र हैं।

2. योजना के अधीन एक आवेदक सभी घटकों के लिए, किंतु प्रत्येक घटक के लिए सिर्फ एक बार, सहायता हेतु पात्र होगा, तथापि, विभिन्न स्थानों पर एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग—अलग आधारभूत पृथक इकाइयां स्थापित करते हैं तो उन्हें योजना के अधीन सहायता दी जा सकती है, इस प्रकार की दो इकाईयों (फार्म) में न्यूनतम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थी, भूमिहीन/छोटे/सीमांत और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले कृषक और देश के सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों के लाभार्थियों को भी वरीयता दी जानी चाहिए।

**मिलने वाले लाभ**— यह योजना डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे डेयरी फार्म और अन्य सहायक की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार करना चाहती है। योजना के तहत सहायता चयनित सहायक घटकों के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर—सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों को ब्याज मुक्त ऋण (ष्स-) के रूप में दी जाती है।

- किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह इत्यादि। संगठित क्षेत्र के समूह में स्वयं सहायता

समूह (एस.एच.जी), डेयरी सहकारी समितियां, दूध संगठन, दूध महासंघ आदि शामिल हैं।

- एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता ले सकता है, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार ही पात्र होगा।
- योजना के तहत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य को सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत वे अलग–अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयां स्थापित करें। इस तरह की दो परियोजनाओं की चार दीवारी के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।

**कैसे आवेदन करें** –उद्यमियों को परियोजना की मंजूरी के लिए अपने बैंकों में आवेदन करना होगा। उपयुक्त मानदंडों के आधार पर बैंक परियोजना की अनुशंषा करेंगे और यदि वे उपयुक्त या पात्रधारी पाए जाते हैं तो बैंक मार्जिन को छोड़कर कुल परिव्यय व्यय को मंजूरी दे दी जाएगी। परियोजना की प्रगति के आधार पर उपयुक्त किश्तों में ऋण राशि प्रदान की जाती है।

लाभः– बैक–एंडेड (ठंबा.मदकमक) सब्सिडी के रुप में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33 प्रतिशत राशि।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**ः– https://www.nabard.org/hindi/content.aspx?id=591

# पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं

# उष्ट्र विकास योजना

**योजना के उद्धेश्यः**— सम्पूर्ण राज्य में लागू इस योजना के तहत प्रदेश में पाई जाने वाली सभी उष्ट्र नस्लों हेतु सहायता देय होगी।

योजना का लाभ दिनांक 02.10.2016 को अथवा इसके बाद उत्पन्न नर/मादा बच्चे (टोडिया) पर देय होगा।

योजनान्तर्गत लाभार्थी ऊँट पालक का पंजीकरण अनिवार्य है। यह सुविधा राज्य के समस्त पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होगी।

**पात्रताः**—

1. ऊँट पालक द्वारा ऊँटनी के गर्भधारण एवं गर्भकाल के संबंध में सूचना नजदीकी पशु चिकित्सालय को देना।
2. पंजीकृत सभी उष्ट्र वंशीय पशुओं को औषधियां, खनिज लवण एवं कृमी नाशक दवा विभागीय पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के प्रावधान अनुरुप उपलब्ध करवाना।
3. ऊँटनी के ब्याने पर ऊँट पालक द्वारा एक माह के भीतर नजदीकी पशु चिकित्सालय में चिकित्सक को अनिवार्य रुप से प्रपत्र में सूचित करना।
4. ऊँटनी एवं बच्चे दोंनों की टैगिंग सहित उनके फोटोग्राफ एवं अन्य संबंधित जानकारियों का संधारण अनिवार्य रुप से करना।
5. पंजीकृत सभी उष्ट्र वंशीय पशुओं को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित भामाशाह पशु बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराया जाना आवश्यक होगा।

**देय लाभः**— उष्ट्र विकास योजनान्तर्गत ऊँटनी के ब्याने पर उत्पन्न नर/मादा बच्चे (टोडिया) का आय अनुरुप कुल राशि रु 10000/—रुपये निम्न विवरण अनुसार स्वीकृत की जावेगी

| क.सं. | नर / मादा बच्चे(टोडिया) की आयु | आर्थिक सहायता |
|---|---|---|
| 1 | 0 से 1 माह की आयु पर | 3000 / — |
| 2 | 9 माह की आयु पर | 3000 / — |
| 3 | 18 माह की आयु पर | 4000 / — |
| कुल | रु. 10,000 / — | |

**अधिक जानकारी के लिये देखें:—**

http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/UploadFiles/jd%2019-09-2016.pdf

# सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर एच.जी.एम. बुल प्रोडेक्शन ऑफ इन्डीजीनस कैटल ब्रीड इन राजस्थान

# सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर एच.जी.एम. बुल प्रोडक्शन ऑफ इन्डीजीनस कैटल ब्रीड इन राजस्थान

**योजना का नाम**:– सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर एच.जी.एम. बुल प्रोडक्शन ऑफ इन्डीजीनस कैटल ब्रीड इन राजस्थान

**उद्धेश्य**:– इस योजना का मुख्या उद्धेश्य देशी नस्लों के संरक्षण को बढावा देना है।

**योजना के लाभ**:– योजना के तहत देशी नस्ल के अधिक दुग्ध उत्पादन वाली मादा पशुओं का चयन कर दुग्ध अभिलेखन कर उनसे उत्पन्न उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ों का चयन कर डी.एन.ए टेस्टिंग व बीमारियों की जांच कर बछड़ा पालन केन्द्र पर रख रखाव के उपरान्त राज्य के सीमन स्टेशन पर दिया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:–
http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/DepartmentalSchemesShow.aspx

# Genetic Improvement of Sirohi Goat (GIG)

**योजना का नामः**– Genetic Improvement of Sirohi Goat (GIG) (बकरी विकास) इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सिरोही नस्ल की बकरी बाहुल्य क्षेत्रों में बकरियों का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

**योजना के उद्धेश्यः**– बकरीयों में नस्ल सुधार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर बकरी पालकों की आय में वृद्धि करना।

**देय लाभः**–

1. उन्नत नस्ल की सिरोही बकरी एवं बकरे पालकों का चयन।
2. बकरी पालकों का प्रशिक्षण।
3. विभाग द्वारा बकरे बकरियों का रिकॉर्ड संधारण।
4. पैदा हुये नर बकरों का चयन कर प्रोत्साहन राशि देना।
5. केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा अनुमोदित बकरों का क्रय।
6. बकरा क्रय कर बकरी पालकों को वितरण।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**–
http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/DepartmentalSchemesShow.aspx

# बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की प्रमुख योजनाएं

# गार्गी पुरस्कार योजना

**पात्रता की शर्ते**– बालिका के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक होना जरूरी है। कक्षा 10वीं और 12वीं अंकतालिका मय प्रमाण–पत्र होना जरूरी है। छात्रा का बैक खाता होना चाहिए।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– 10वीं और 12वीं की अंकतालिका मय आवेदन के साथ ब्लॉक का उल्लेख होना जरूरी है।

**देय लाभ**– 10वीं की छात्रा को 3000/– रूपये मय प्रमाण–पत्र तथा 12वीं की छात्रा को 5000/–मय प्रमाण/–पत्र दिया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsanskrit.nic.in/san_awards_matter.htm

# मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख योजनाएं

## मत्स्य बीज पालन क्षेत्र का विकास

**पात्रता की शर्ते**– पोण्डस के निर्माण हेतु स्वंय की जमीन अथवा दीर्घावधि पर आवंटित पोखर, पानी की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित जल स्त्रोत, मत्स्य बीज पालन का प्रशिक्षण अथवा मत्स्य बीज पालन पूर्व अनुभव

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– विभाग की वेबसाईट पर आवेदन करें और जल क्षेत्र 0.001 से 0.01 हैक्टर तक गहराई 0.5 से 1.5 मीटर तक

**देय लाभ**– परियोजना से प्रति हैक्टेयर जलक्षेत्र के उपयोग से मत्स्य बीज पालक रूपये 15,000 से 50,000 तक की आय एक वर्ष में प्राप्त कर सकेगें।

अधिक जानकारी के लिये देखें:– http://www.fisheries.rajasthan.gov.in/Home.aspx

## मछलियों का प्रजनन एवं पालन योजना

**पात्रता की शर्ते**– स्नातक डिग्रीधारी कोई भी व्यक्ति, या मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर या महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर से मत्स्य पालन में प्रशिक्षण प्राप्त, मत्स्य बीज पालन एवं व्यवसाय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव व स्वयं सहायता समूह के मामले में ग्रुप लीडर उक्त पात्रता प्राप्त होना आवश्यक।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**– विभाग की वेबसाईट पर आवेदन करें और जल क्षेत्र 0.001 से 0.01 हैक्टर तक गहराई 0.5 से 1.5 मीटर तक

**देय लाभ**– प्रति घरेलू ईकाई लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 25,000/– महिला उद्यमी या महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को अनुदान इकाई लागत के 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 50,000/–

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://www.fisheries.rajasthan.gov.in/Home.aspx

# कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं

# मुख्यमंत्री जल स्वाबलम्बन अभियान

मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी, 2016 को झालावाड़ जिले में गांव गर्दनखेड़ी से यह अभियान शुरू किया।

**योजना के उद्देश्यः–**

1. राजस्थान को जल स्थायी राज्य बनाने के लिए
2. विभिन्न विभागों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से प्रभावी जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए
3. फसल पद्धति में बदलाव के लिए
4. स्थायी उपायों के माध्यम से पीने के पानी के लिए गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने, सिंचित और उपजाऊ क्षेत्रों में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए।

**पात्रता**– इस योजना में कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वाबलम्बन अभियान में किसी भी राशि का दान करके अपना योगदान दे सकता है।

**लाभ**– चयनित गांवों में पारम्परिक जल संरक्षण प्रणालियों जैसे तालाबों, बावडियों, टांके आदि का निर्माण व नई तकनीकों के साथ निक, टॉकें, लगाम आदि का निर्माण।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://mjsa.water.rajasthan.gov.in/

# सौर पम्प कृषि–कनेक्शन योजना

**योजना के उद्देश्य**– सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राज्य में लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करना व ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना।

**पात्रता**– आवेदकों में वे किसान शामिल हैं जिनके कृषि कनेक्शन दिसंबर, 2013 से लम्बित है।

**आवेदन कैसे करें**– इस योजना में पंजीकरण के लिए सामान्य कृषि कनेक्शन पावर निगम के संबंधित सहायत अभियंता कार्यालय में 1000/– जमा करके आवेदन करने में सक्षम होंगे।

**लाभ**– सौर पम्प स्थापित करना।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–**
http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/dam/agriculture/Directorate%20of%20Horticulture/Statics/Scheme/Solar/solar_gi_2017_18.pdf

## महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण योजना, 2015

**योजना के उद्देश्य**– लाइसेंस धारक महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देना, विवाह सहायता आदि देना।

**पात्रता**– लाइसेंस धारक महिला श्रमिक

**लाभ**–

1. लाइसेंस धारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान करना।
2. लाइसेंस धारक महिला श्रमिक के विवाह एवं उसकी दो पुत्रियों की सीमा तक 20 हजार रूपये प्रति विवाह सहायता राशि प्रदान करना।
3. 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी मजदूर का बेटा/बेटी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करना।
4. गंभीर बीमारी के मामले में लाइसेंसधारी मजदूर को 20000/– की वित्तीय सहायता देना।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:–

http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/dam/agriculture/Rajasthan%20Agriculture%20Marketing%20Department/Policy_and_Schemes/Programes_Schemes/SHRAMIK_KALYAN_YOJNA.pdf

## मुख्यमंत्री बीज स्वाबलम्बन योजना (MBSY)

इस परियोजना के तहत कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर तीन जिलों को मुख्यमंत्रीबीज स्वाबलम्बन योजना के लिए चुना गया।

**योजना के उद्देश्य**– किसानों को अपने स्वयं के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में सहायता करना।

**पात्रता**– किसान

**लाभ**– किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में सहायता करना तथा बीजों के लिए किसी और पर उनकी निर्भरता को कम करना।

# उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाएं

# मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

**पात्रता की शर्ते–**

1. इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।

2. आवेदनकर्ता व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिन छात्रों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से पास की हो, और बोर्ड की प्राथमिकता सूची में पहले एक लाख में स्थान प्राप्त किया हो।

4. आवेदक छात्र को राज्य के किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च तकनीकी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा जो छात्र/छात्राएं किसी अन्य छात्रवत्ति का लाभ ले चुके हैं, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

5. आवेदक व्यक्ति का राज्य के किसी बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है।

सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें।

- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- 10वीं और 12वीं पास का प्रामण पत्र
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

**देय लाभ–**

- इस योजना का लाभ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य के जिन गरीब परिवार के छात्रों का नाम हैं। उन छात्रों को सरकार की तरफ से 10 महीने तक प्रतिमाह 500 रूपये दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के छात्र और छात्राओं को प्रतिवर्ष अधिकतम 5000/– रूपये का भुगतान किया जायेगा।
- छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं को अधिकतम 05 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत अगर कोई विद्यार्थी 05 वर्ष पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–**

https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship/sch391.pdf

# रोजगार योजना

## मुख्यमंत्री युवा संबंल बेरोजगारी भत्ता योजना

**उद्देश्यः**— बेरोजगार युवकों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबंल बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की है। ये योजना प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है।

**पात्रता की शर्तें**— सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं के 21 से 30 वर्ष व एस.सी. /एस.टी. के लिए 21 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, एक ही परिवार के दो से अधिक सदस्य इस योजना के लाभ नहीं ले सकते। युवा जिन्होंने स्नातक डिग्री पाठयक्रम पूरा किया है या मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। महिला के संबंध में — यदि कोई महिला अन्य राज्य से है और वह राजस्थान के मूल निवासी पुरुष से शादी करती है तो वह भी इसके योग्य है। आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए और ना ही आवेदक के पास स्व—रोजगार भी नहीं होना चाहिए।

**सलंग्न दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें**— राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया है जहाँ यूजर आइ डी बनाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का वेबसाइट एड्रेस नीचे दिया गया है।

**दस्तावेजः**—

- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्क शीट
- ग्रेजुएशन की मार्क शीट
- जाति प्रमाण—पत्र
- राजस्थान नागरिक प्रमाण—पत्र

**देय लाभ**– राजस्थान बेरोगार भत्ता सरकारी योजना में पुरूष युवकों का प्रतिमाह 3000 रूपये जबकि महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3500 रूपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह भत्ते को अधिकतम 2 सालों तक दिया जाता है, इस बीच में अगर किसी की नौकरी लग जाती है तो वह व्यक्ति इस योजना से बाहर हो जाएगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**ः–

http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/website/WebsiteDocs/documents/208_3f954af4-861c-492d-aa3f-290f5f86364eMukhyamantriYuvaSambalYojana_pdf.pdf

# राजस्थान कौशल विकास योजना

# राजस्थान कौशल विकास योजना

**उद्देश्य**– राजस्थान कौशल योजना सभी श्रमिकों के लिए लॉन्च की है जिसके अंतर्गत उन सभी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जिनकी कोरोनावायरस लॉक डाउन की वजह से नौकरी चली गई है। यह पोर्टल नियोक्ताओं को भी मजदूर प्रदान करवाने में मदद करेगा। यह पोर्टल एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करेगा।

पात्रता–

- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक दूसरे राज्य से पलायन किया हुआ श्रमिक होना चाहिए या फिर कोई ऐसा नियोक्ता होना चाहिए जिसे मजदूरों की जरूरत हो।
- आवेदक अगर पलायन किया हुआ श्रमिक है तो उसके पास नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास यदि नौकरी नहीं है और वह पलायन किया हुआ श्रमिक भी नहीं है तो भी वह राज कौशल पोर्टल पर आवेदन करवा सकता है।

लाभ–

- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करवाया जाएगा।
- Raj Kaushal Scheme के अंतर्गत नियोक्ताओं को मजदूर प्रदान कराए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- राज कौशल योजना पोर्टल एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह भी काम करेगा।

## आवेदन कैसे करें (श्रमिक के लिए)

- सर्वप्रथम आपको राज कौशल योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपको पंजीकरण की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इसके बाद आपको सिटीजन की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर, ई मेल आई.डी दर्ज करना होगा।
- अब आपके मोबाइल पर एक ओ.टी.पी. आएगा उस ओ.टी.पी. को दर्ज करें।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान से भरिए।
- अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–**

http://livelihoods.rajasthan.gov.in/content/livelihood/en/skill-department.html#

# नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना

**उद्देश्य**– राजस्थान के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना एवं अद्यमिता की ओर अग्रसर करना है।

**पात्र व्यक्ति**–

- युवा महिलाएं
- यूनिक्स
- विशेष योग्यजन
- कारागार बंदी
- बाल सुधार गृह (नारी निकेतन/किशोर गृह)
- कृषक एवं पशुपालन

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:–
http://livelihoods.rajasthan.gov.in/content/livelihood/en/skill-department.html#

## दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.)

**उद्देश्य**– ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास करना।

**पात्र**– ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा व्यक्ति।

अधिक जानकारी के लिये देखें:–

http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/en-us/schemes/otherschemes.aspx

## रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.)

**उद्देश्य**– उद्देश्य– सॉफ्ट स्किल (कम्प्यूटर साक्षरता, भाषा, सेक्टर/ट्रेड से संगत कार्यस्थल अन्तःवैयक्तिक कौशल शामिल है। पाठ्यक्रम में 100 घंटे का सॉफ्ट एवं उद्यमित कौशल प्रदान किया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:–**
http://livelihoods.rajasthan.gov.in/content/livelihood/en/skill-department/Partners/ELSTP.html#

# उद्योग विभाग की प्रमुख योजनाएं

# महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

**उद्देश्यः**– महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का मूल उद्देश्य प्राकृतिक और साथ ही आकस्मिक मृत्यु और कुल या आंशिक विकलांगता के मामलों में हथकरघा बुनकरों को बढ़ा हुआ बीमा कवर प्रदान करना है।

**पात्रताः**–

1. बुनकर को हथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50ः अर्जित करना चाहिए।
2. सभी बुनकर, चाहे पुरुष हो या महिला, 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के हैं, इस योजना के तहत् शामिल होने के पात्र हैं, जिनमें अल्पसंख्यक, महिला बुनकर और बुनकर शामिल हैं।
3. राज्य हथकरघा विकास निगमों/शीर्ष/ प्राथमिक हथकरघा बुनकरों जो सहकारी समितियों से संबंधित बुनकर योजना के तहत कवर किया जाएगा। सहकारी समितियों के बाहर बुनकरों को भी योजना के तहत राज्य के निदेशालय के एक प्रमाण–पत्र के तहत कवर किया जा सकता है कि वे पात्रता शर्तों को पूरा कर रहे हैं।
4. यह योजना के तहत कवर किए जाने वाले बुनकरों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए हथकरघा के प्रभारी राज्य निदेशक की जिम्मेदारी होगी।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य निदेशक प्रभारी और एल.आई.सी. की जिम्मेदारी होगी कि महिला बुनकर, अल्पसंख्यकों के बुनकर और एन.ई.आर. राज्यों के बुनकर (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) को दी जाए। योजना को लागू करते समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

**देय लाभः**–

1. प्राकृतिक मृत्यु रु 60,000 / –
2. दुर्घटना मृत्यु रु 1,50,000 / –
3. कुल विकलांगता रु 1,50,000 / –
4. आंशिक विकलांगता रु 75,000 / –

## Premium

| | |
|---|---|
| The annual premium of Rs.470/- per member will be shared as under: GOI contribution | Rs.290/- |
| Weavers " contribution | Rs. 80/- |
| LIC "s contribution | Rs.100/- |
| **Total premium** | **Rs.470/-** |

अधिक जानकारी के लिये देखेंः– http://industries.rajasthan.gov.in

## आर्टीजन (हस्तशिल्प) परिचय पत्र योजना

**उद्धेश्यः**— इस योजना के अन्तर्गत कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के राज्य में स्थित कार्यालयों जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाते हैं।

भारत सरकार की योजनाओं में हस्तशिल्पियों को लाभ देने हेतु परिचय पत्र के रुप में पंजीकरण किया जाता है।

**आवेदन की प्रकियाः**— योजनान्तर्गत परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य के समस्त जिलों में स्थित जिला उद्योग केन्द्रों में आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होता है तत्पश्चात आवेदन पत्रों को अभिशंषा सहित विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के राज्य में स्थित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर को प्रेषित किया जाकर परिचय—पत्र जारी कराया जाता है।

**लाभः**— परिचय पत्र के माध्यम से भारत सरकार के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती हैं। उन्हें बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं में लाभ प्रदान किया जाता है।

राज्य में जो दस्तकार काम कर रहे हैं, परिचय पत्र के माध्यम से उनको सरकारी मान्यता प्राप्त हो जाती है।

परिचय पत्र के माध्यम से एक डेटा बैंक तैयार होता है कि राज्य में कितने कारीगर किस ट्रेड में कार्य कर रहे हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**— http://industries.rajasthan.gov.in

## मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

**योजना के उद्धेश्यः**— प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेग

**पात्रता की शर्तें**:– योजना अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ–साथ संस्थागत आवेदक/स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी. फर्म/कम्पनी भी पात्र होंगे।

व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी. फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी।

**देय लाभ**:– ऋण सीमाः– इस योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्धेश्य हेतु संयत्र एवं मशीन, वर्क रोड़/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड रु तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

**ऋण श्रेणियां एवं ब्याज अनुदान**:– योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकता करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगाः–

| क्र.स | अधिकतम ऋण राशि | ब्याज अनुदान |
|---|---|---|
| 1 | 25 लाख रु तक | 8 प्रतिशत |
| 2 | 25 लाख रु से 05 करोड तक | 6 प्रतिशत |
| 3 | 05 करोड रु से 10 करोड रु तक | 5 प्रतिशत |

**सम्पार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण को प्रोत्साहनः–** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रु तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रु से अधिक के ऋण को Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा तथा मुद्रा योजना में होने पर यथास्थिति उस योजना में वहन किया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः–** http://industries.rajasthan.gov.in

# को–ओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी की प्रमुख योजनाएं

# राजस्थान ज्ञान सागर योजना

**उद्देश्य**– राजस्थान स्टेट को ऑपरेटिव बैंक की केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से संचालित होने वाली ज्ञान सागर योजना में दूर ढाणी में बैठे काश्तकार के बेटे–बेटियों से लेकर शहरों में निवास करने वाले उच्च अध्ययन के इच्छुक युवा ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

**पात्रता**– ज्ञान सागर योजना में तकनीकी, व्यावसायिक, इन्जीनियरिंग आई. टी. आई. ,मेडिकल होटल मैनेजमेन्ट एम. बी. ए. कम्प्यूटर आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थीयों हेतु

**लाभ**– देश व प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी अध्ययन के लिए तीन लाख रुपये और विदेश में अध्ययन के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधा प्रतिशत कम ब्याज लेने का निर्णय किया गया है। दो लाख रुपये तक के ऋण पर साढ़े ग्यारह प्रतिशत और अधिक के ऋण पर बारह प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा। योजना का उद्धेश्य आर्थिक अभाव से शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा के पूरे अवसर उपलब्ध कराना है।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## सहकारी किसान कार्ड योजना

**उद्देश्य**– किसानों को आसानी से सहकारी कर्जे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समूचे देश में सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में 29.1.1999 किसानों को सहकारी किसान कार्ड योजना लागू की गई। इसी क्रम में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त ऋणी सदस्यों को "सहकारी किसान कार्ड" सुविधा से जोड़ा जा चुका है।

**पात्रता**– ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसान।

**लाभ**– राज्य सरकार के इस निर्णय से अब ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य किसान सीधे बैंक से चैक प्रस्तुत कर अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इच्छानुसार ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से समिति में खाद बीज, डीजल आदि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्षेत्र की क्रय–विक्रय सहकारी समिति से खाद बीज आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रम में वर्ष 2010–11 में पांच लाख नए सदस्यों को सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसमें नए काश्तकारों को सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड योजना

**उद्देश्य**– लघु उद्यमियों, छोटे व्यापारियों आदि को आसानी से साख सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुगम क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की थी ।

**पात्रता**– सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ हेतु लघु उद्यमियों, छोटे व्यवसाईयों, पारम्परिक कारोबार करने वाल, दस्तकार व युवा पात्र हैं।

**लाभ**– सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड योजना में लघु उद्यमियों, छोटे व्यवसाईयों, पारम्परिक कारोबार करने वाले, दस्तकारों व युवाओं को रोजगार के संचालन के लिए पचास हजार रूपये तक की साख सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 25 हजार रूपये तक की साख सुविधा के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की भी आवश्यकता नहीं है। अब इस योजना का नाम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कर दिया गया है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें:**– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## सहकार स्वरोजगार योजना

**उद्देश्य**– कृषि, अकृषि एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों द्वारा सहकार स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।

**लाभ**– इस योजना में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिकतम दो लाख रूपये तक का ऋण दो व्यक्तियों को जमानत पर दिया जा सकेगा। 25 हजार रूपये तक के ऋण तक के ऋणों पर कालेटरल सिक्योरिटी भी नहीं ली जाती है। ऋणों का भुगतान मासिक, त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिये देखें:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## जन मंगल आवास ऋण योजना

**उद्देश्य**– 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में मकान खरीदने या बनाने एवं 25 हजार से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए जनमंगल अवास ऋण योजना शुरू की गई है।

**लाभ**–'योजना में दुकानों, गोदाम, शोरूम के निर्माण के साथ ही रिहायशी मकानों या दुकानों की अभिवृद्धि या मरम्मत के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध है। इस ऋण योजना में राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के स्थायी कर्मचारी या तीन वर्ष से आयकर सारणी भरने वाले गैर कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण तीन किश्तों में किया जायेगा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

# कृषक मित्र योजना

**उद्देश्य**– राज्य में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और छोटे बड़े सभी काश्तकारों को सहकारी दायरे में लाने के उद्देश्य से अगस्त, 1997 से कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना शुरू की गई है।

**पात्रता**– चार एकड़ से अधिक सिंचित कृषि योग्य भूमि वाले काश्तकारों के लिए।

**लाभ**– चार एकड़ से अधिक सिंचित कृषि योग्य भूमि वाले काश्तकारों को उनकी स्वीकृत साख सीमा के अनुसार दो लाख रूपये तक के फसली कर्जे वितरित किये जा सकते हैं। हाल ही में सामान्य क्षेत्र में साढ़े तीन लाख रुपए एवं नहरी क्षेत्रों के किसानों को अधिकतम चार लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस योजना के लागू होने से छोटे बड़े सभी काश्तकार एक ही स्थान से ऋण जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। इस योजना में एक जुलाई से 31 जून तक की अवधि के लिए साख सीमा स्वीकृत की जाती है और सहकारी किसान कार्ड से स्वीकृत साख सीमा तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तीन लाख रुपए तक के ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

# सहकार प्रभा योजना

**उद्देश्य**– कृषि, अकृषि एवं फसली सहकारी ऋणों के लिए एक बारीय साख सीमा का निर्धारण कर ऋण स्वीकृति व वितरण में विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा सहकार प्रभा योजना की शुरूआत की गई है ।

**पात्रता**– दो एकड़ कृषि योग्य भूमि वाले, अवधिपार सहकारी ऋणों के दोषी नहीं होने वाले कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

**लाभ**– इस योजना में फसली कार्यों हेतु एक वर्ष के लिए व अन्य ऋण अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए दिये जा सकेंगे।

**अधिक जानकारी के लिये देखेंः**– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## नकद ऋण वितरण योजना

**उद्देश्य**– दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से नकद ऋण वितरण व्यवस्था शुरू की गई है।

**पात्रता**– कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

**लाभ**– योजना के अनुसार ट्रेक्टर व लघुपथ परिवहनों को छोड़कर शेष कृषि यंत्रों, पम्पसैट, स्प्रिन्कलर, अन्य मशीनरी उपकरणों व संयत्रों की खरीद के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा अब सीधे किसानों को चौक किया जाता है। किसान स्वयं अपनी पसंद के मेक व फर्म से तत्संबंधी यंत्र खरीद कर 15 दिवस में खरीद प्रस्तुत कर ऋण से खरीदी गई वस्तु का भौतिक सत्यापन कर सकता है। इस योजना का प्रदेश के सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना

**उद्देश्य**– प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर कुएं खुदवाने पर उनके उद्देश्यों में विफल होने की स्थिति में काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है।

**लाभ**– प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर कुएं खुदवाने पर उनके उद्देश्यों में विफल होने की स्थिति में काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## महिला विकास ऋण योजना

**उद्देश्य**– राज्य के 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के कार्यक्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को बिना अचल संपत्ति बंधक रखे ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था महिला विकास ऋण योजना में की गई है।

**पात्रता**– महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

**लाभ**– इस योजना में महिलाएं कुटीर व ग्रामीण उद्योग धन्धों, छोटे–मोटे रोजगार के साधनों, टोकरी, खिलौने, रेडियों, कपड़े, मसाले, बुनाई, पापड, मंगोडी, साख, जरी, चमड़े के कार्य आदि कार्यों के लिए 50 हजार रूपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण राशि को तीन माह की ग्रेस अवधि सहित पांच वर्षों में चुकाने की सुविधा है ।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना

**उद्देश्य**– प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों की दुर्घटना में स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर राहत देने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों के सहयोग से दुर्घटना बीमा योजना सुविधा उपलब्ध है।

**पात्रता**– महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

**लाभ**– इस योजना में महिलाएं कुटीर व ग्रामीण उद्योग धन्धों, छोटे–मोटे रोजगार के साधनों, टोकरी, खिलौने, रेडियो, कपड़े, मसाले, बुनाई, पापड, मंगोडी, साख, जरी, चमड़े के कार्य आदि कार्यों के लिए 50 हजार रूपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण राशि को तीन माह की ग्रेस अवधि सहित पांच वर्षों में चुकाने की सुविधा है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## ग्रामीण आवास योजना

**उद्देश्य**– ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 50 हजार रूपये तक की आबादी वाले कस्बों एवं गांवों में काश्तकारों के पक्के मकान बनाने के लिए आवास ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

**पात्रता**– कस्बों एवं गांवों में काश्तकारों हेतु।

**लाभ**– ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 50 हजार रूपये तक की आबादी वाले कस्बों एवं गांवों में काश्तकारों के पक्के मकान बनाने के लिए आवास ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण आवास योजना में पुराने मकानों की मरम्मत, परिवर्तन पर परिवर्द्धन के लिए भी ऋण सुविधा दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

## बेबी ब्लेंकेट योजना

**उद्देश्य**– मकानों की मरम्मत, परिवर्तन व परिवर्द्धधन के लिए 50 हजार रूपये तक के ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा बेबी ब्लेंकेट योजना चलाई जा रही है ।

**लाभ**– योजना में मकान की मरम्मत, रंग रोगन, प्लास्टर, फर्श बनवाने या बदलवाने, बिजली या पानी की लाइनों को बदलने या मरम्मत करवाने दवाजे खिड़की या अन्य इसी तरह के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराये जा रहे ऋण दो किश्तों में बांटे जाते हैं और समान मासिक किश्तों में मय ब्याज चुकाने की सुविधा।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– http://rajsahakar.rajasthan.gov.in/home/Schemes

# खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

# राजस्थान राशन कार्ड सूची

**उद्देश्यः**— इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को राजस्थान राशन कार्ड सूची 2020 में अपना नाम देखने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। अब राज्य के लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर बड़ी सरलता से राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के हर गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें उचित मात्रा में खाद्य प्रदार्थ प्रदान करना और लाभार्थियों के जीवन में सुधार करना। इस Ration Card List 2020 में सूचीबद्ध लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि उपलब्ध कराना ।

**राशन कार्ड के प्रकारः**— भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड को तीन भागों में बांटा गया है जिसकी पूरी जानकारी हमने नीचे दी हुई है।

**BPL RATION CARD –** बी.पी.एल राशन कार्ड राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। बी.पी.एल परिवारों की वार्षिक आय 10000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस राशन कार्ड के ज़रिये राज्य के लोग राशन की दुकान से सस्ती दरों पर 25 किलो तक का अनाज खरीद सकते हैं।

**APL RATION CARD – APL Ration Card** राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के इन परिवारों को ए.पी.एल राशन प्रदान किया जाता है इन ए.पी.एल राशन के ज़रिये राज्य के लोग राशन की दुकान से प्रतिमाह 15 किलो तक का आनाज रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।

**AAY RATION CARD – AAY** राशन कार्ड उन परिवारो के लिए जारी किया गया है जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। राशन कार्ड लोगों की आय के आधार पर जारी किये जाते हैं। इस राशन कार्ड के जरिये एक परिवार प्रतिमाह राशन की दुकान से 35 किलो तक का अनाज सस्ती दरों पर खरीद सकता है।

## राशन कार्ड के लाभः–

- राशन कार्ड लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उन लोगों को सस्ती दरों पर गेहू, चावल, चीनी, केरोसिन आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राशन कार्ड के ज़रिये आप वोटर आइ.डी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी त्ंजपवद ब्ंतक का इस्तेमाल किया जाता है।
- राशन कार्ड राज्य  के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://food.raj.nic.in/RationCard.aspx

# मनरेगा विभाग

## मनरेगा योजना

**उद्देश्यः**— यह केंद्र सरकार के द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है, इस योजना के द्वारा ग्राम को शहर के अनुसार सुख—सुविधा प्रदान करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को हर साल न्यूनतम 100 दिनों की guaranteed non-skilled manual employment उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण परिवार अपना घर चला सकें।
- नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत है।
- आजीविका को मजबूत करना और गरीबों को संसाधन प्रदान करना।
- नरेगा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी सम्मिलित करना है।
- साथ ही इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना है।

**मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यः**—

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार से है—

- जल संरक्षण
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
- बाढ़ नियंत्रण
- भूमि विकास
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण
- लघु सिंचाई
- बागवानी
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण

कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है।

मनरेगा योजना के लाभ हेतु आवेदन कौन कर सकता है?

एक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्य जिनके पास एक नरेगा जॉब कार्ड है, उनको मनरेगा के तहत अकुशल मैनुअल कार्यकर्ता के रूप में रोजगार की मांग करने का अधिकार है।

**मनरेगा योजना से लाभ**–

- मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है, केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के वयस्क सदस्य के द्वारा आवेदन किया जाता है, आवेदन होने के 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है, यदि किसी कारणवश 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, यह भत्ता पहले 30 दिन का एक चौथाई होता है, 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है।

राजस्थान राज्य में मनरेगा योजना में मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन 192 रूपये दिया जाता है।

**अधिक जानकारी के लिये देखें**:– https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

## *Notes*

# विधिक सेवा संस्थाएं

## राज्य स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समीतियाँ, जोधपुर एवं जयपुर

*

## जिला स्तर पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश कार्यालय)

*

## तालुका स्तर पर

तालुका विधिक सेवा समीति (तालुका के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी का कार्यालय)

*

**अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :**


## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

**राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर**

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

हेल्प लाइन नम्बर : 15100, 9928900900 | website : www.rlsa.gov.in फॉलो करें : rslsa.rajasthan @LeglAidRajsthan legalaidrajasthan